

न्यायालय सहायक कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी) चितलवाना
पीठासीन अधिकारी – हनुमानाराम आर ए एस

राजस्व वाद संख्या :- 31/2020

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. कालुराम पुत्र देवजी जाति-पुरोहित, निवासी-चितलवाना तहसील चितलवाना		1. जोगाराम पुत्र भेमा 2. थाना पुत्र रावता फौत 3. प्रागाराम पुत्र भेमा कौम-कलबी निवासीगण-रामपुरा तहसील चितलवाना 4 उपपंजियक चितलवाना 5 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चितलवाना

दावा बाबत बन्टवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88 R.T.Act

उपस्थित :-

- 1- वादी की ओर से वकील श्री प्रकाश विश्णोई।
- 2- प्रतिवादी संख्या 01 ता 5 की एकपक्षिय


निर्णय

दिनांक 13/12/2023

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.05.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार चितलवाना को मौजा रामपुरा पटवार हल्का रामपुरा तहसील चितलवाना के खेत खाता संख्या 143 खसरा संख्या 1263 रकबा 1.31 हैक्टर किस्म जाव सोयम तथा खाता संख्या 142 के खसरा संख्या 1264 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 1265 रकबा 2.33 हैक्टर किस्म चाही सोयम-जाव सोयम, खसरा संख्या 1266 रकबा 1.16 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम जुमले रकबा 4.81 हैक्टर की संयुक्त खातेदारी की भूमि का बंटवाड़ा का प्रस्ताव मिट्स एण्ड बाण्ड्स एवं कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अन्तर्गत पेश करने हेतु आदेशित किया गया था। जिसके सन्दर्भ में तहसीलदार चितलवाना द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण को सूचित करते हुए मौके पर उपस्थित पक्षकारान के रूबरू संशोधित बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में क्रमांक/भू.अ./2023/2752 दिनांक 30.10.2023 को प्रस्ताव पेश किया जो निम्नानुसार है :-

(अ) कालुराम वल्द देवजी जाति पुरोहित निवासी चितलवाना के हिस्से में ट्रेस में पीले रंग से दर्शाया गया।

खसरा संख्या मे से	रकबा	लगान
1263	1.31	1.4
1264	0.01	-
1265 मेसे उतरी	1.39	3.34
कुल 3	2.71	4.75



सहायक कलेक्टर - चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी - चितलवाना)

(ब) श्री प्रागाराम, भीखाराम, जोगाराम वल्द भेगाराम जाति कलबी निवासी चितलवाना सा. देह खातेदार के हिस्से में ट्रेस में गुलाबी रंग से दर्शाया गया।

खसरा संख्या मे से	रकबा	लगान
1265 मे से दक्षिणी	0.90	2.16
1266	1.16	2.32
कुल 2	2.06	4.48

(स) पूर्ववर्त वर्तमान खातेदार रास्ता प्रयोजनार्थ हेतु ट्रेस में ब्लू रंग से दर्शाया गया।

खसरा संख्या मे से	रकबा	लगान
1265	0.04	0.07
कुल 1	0.04	0.07

उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं ने प्राथमिक डिकी के प्रस्ताव पर आदिनांक तक कोई आपत्ति नहीं की।

मिट्स एण्ड बाण्ड्स एवं कब्जा एवं राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तावित तहसीलदार चितलवाना के प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाकर तहसीलदार चितलवाना को आदेश दिया जाता है कि उक्तानुसार बन्दवाड़ा के आदेश व डिकी अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में अलग-अलग तरमीम कर अमलदरामद करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार चितलवाना को जारी हो। डिकी पूर्वा उक्तानुसार जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे।




(हनुमानाराम RAS)

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी (चितलवाना)



निर्णय आज दिनांक 13/12/2023 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर

उपखण्ड अधिकारी (चितलवाना)
महायुक्त कलेक्टर (चितलवाना)
(उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना)

डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure code , Appendix MDN-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी) मुकाम चितलवाना
इजलास - श्री हनुमानाराम आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
कालुराम पुत्र देवजी जाति पुरोहित निवासी चितलवाना तहसील चितलवाना		1 जोगाराम पुत्र भेमा 2 भीखाराम पुत्र भेमा 3 प्रागाराम पुत्र भेमा कौम कलबी नि० रामपुरा 4 उपपंजियक चितलवाना 5 सरकार जरिये तहसीलदार चितलवाना

दावा बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,88

राजस्व वाद संख्या- 31/2020

यह मुकदमा आज इनफिसाल कतई रू-ब-रू पक्षकारान व हाजरी वकील श्री प्रकाश विश्नीई मिनजानिव मुदई प्रतिवादीगण की ओर से एकपक्षिय मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि:-

(अ) कालुराम वल्द देवजी जाति पुरोहित निवासी चितलवाना के हिस्से मे ट्रेस मे पीले रंग से दर्शाया गया।


खसरा संख्या मे से	रकबा	लगान
1263	1.31	1.41
1264	0.01	-
1265 मेसे उत्तरी	1.39	3.34
कुल 3	2.71	4.75

(ब) श्री प्रागाराम, भीखाराम, जोगाराम वल्द भेमाराम जाति कलबी निवासी चितलवाना सा. देह खातेदार के हिस्से में ट्रेस मे गुलाबी रंग से दर्शाया गया।

खसरा संख्या मे से	रकबा	लगान
1265 मे से दक्षिणी	0.90	2.16
1266	1.16	2.32
कुल 2	2.06	4.48

(स) पूर्ववर्त वर्तमान खातेदार रास्ता प्रयोजनार्थ हेतु ट्रेस मे ब्लू रंग से दर्शाया गया।

खसरा संख्या मे से	रकबा	लगान
1265	0.04	0.07
कुल 1	0.04	0.07



महायुक्त कलेक्टर-चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना)

तहसीलदार चितलवाना उक्तानुसार बंटवाड़ा के आदेश व डिक्री अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में अलग-अलग तरमीम कर अमल दरामद करे।
मौजा रामपुरा मुवलिंग-बाबत-खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व भरह-फसीदी-सालना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक-की अदा करे।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 13/12/2023 को जारी की गई।



(हनुमानाराम RAS)

सहायक कलेक्टर चितलवाना
महायुक्त कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना)